## परियोजना के सम्बन्ध में

हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) विश्व बैंक वित्त पोषित "हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना " (एचपीएचडीपी) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के छोटे किसानों और कृषि उद्यमियों को चुनिंदा बागवानी फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करना है।

एचपीएचडीपी में चार घटक हैं *(i)* बागवानी उत्पादन बढ़ाना, *(ii)* मूल्यवर्धन और कृषि उद्यम विकास, *(iii)* बाजार विकास और *(iv)* परियोजना प्रबंधन।

एग्री बिज़नेस प्रमोशन फैसिलिटी (एबीपीएफ), मूल्यवर्धन और कृषि उद्यम विकास का एक भाग है जो राज्य के बागवानी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

### कृषि / बागवानी क्षेत्र में प्रमुख व्यावसायिक अवसर:

- फलों, सब्जियों और फूलों के लिए आधुनिक नर्सरी की स्थापना
- फूल उत्पादन व्यवसाय
- फल और सब्जी का प्रसंस्करण
- औषधीय पौधों का प्रसंस्करण
- मसालों का प्रसंस्करण
- शहद उत्पादन और प्रसंस्करण
- तेल निष्कर्षण (फूल, औषधीय, सुगंधित पौधों आदि)
- मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण
- जैव उर्वरक उत्पादन
- टिश्यू कल्चर इकाइयां
- पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना
- प्राथमिक संग्रह केंद्रों, कोल्ड चैन इकाइयों की स्थापना
- सलाहकार सेवा केंद्रों की स्थापना

## एबीपीएफ (ABPF) के बारे में

हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी) के माध्यम से राज्य के बागवानी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए, एग्री बिज़नेस प्रमोशन फैसिलिटी (एबीपीएफ) का गठन किया गया है, इसमें कृषि एवं बाग़वानी सम्बन्धी रुचिगत उद्यमियों एवं वर्तमान में स्थापित व्यवसायों के विस्तार हेतु विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है।

### संपर्क करें:


एबीपीएफ टीम, शिमला
बीरी सिंह, एग्री-बिज़नेस स्पेशलिस्ट
ई-मेल आईडी: hdp-abs-hp@gov.in

**सोलन** - अभय ठाकुर (+91 9311018839)
**मंडी** - डॉ. सी एस वैद्य (+91 9418475758)
**कांगड़ा** - तन्मय चटर्जी (+91 9920462686)

**कार्यालय का पता:**
एबीपीएफ (ABPF) सेल, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी), डायरटन बिज़हब, ताल्लैंड बाईपास, शिमला (एच पी) – 171001 फ़ोन नंबर: 0177- 2674465, 2674937


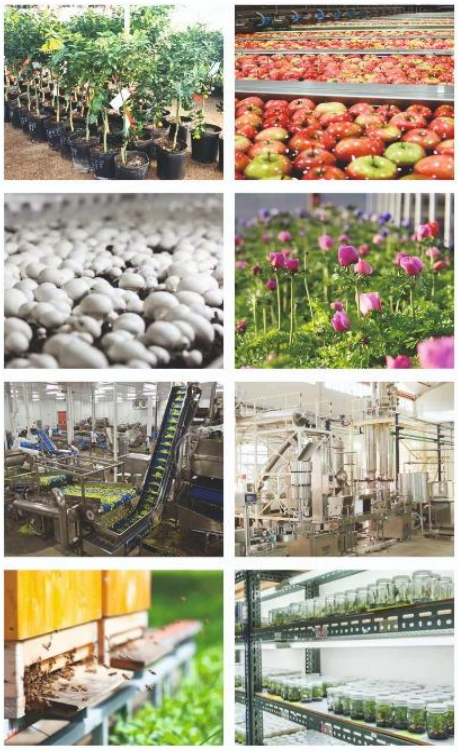

## एग्री बिज़नेस प्रमोशन फैसिलिटी *(ABPF)* के तहत समर्थन

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना
(HPHDP)

## एबीपीएफ के तहत मैचिंग ग्रांट प्राप्त करने की प्रक्रिया

**01 प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (EoI)**
इच्छुक उद्यमियों को प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट जमा करने के लिए एचपीएचडीपी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

**02 प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट्स की स्क्रीनिंग**
इच्छुक आवेदकों के जमा किये गए प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट की जांच एबीपीएफ द्वारा की जाएगी और आवेदकों से प्रासंगिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

**03 विस्तृत बिज़नेस प्लान का सबमिशन**
प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद जो प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट उपयुक्त पाए जायेंगे, उन आवेदकों को विस्तृत बिज़नेस प्लान जमा करने के लिए कहा जाएगा, एबीपीएफ टीम इसमें उनकी सहायता करेगी।

**04 विस्तृत बिज़नेस प्लान का मूल्यांकन**
जमा की गई बिज़नेस प्लान का मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकन पैनेल द्वारा किया जाएगा।

**05 चयनित आवेदकों को सूचना**
मूल्यांकन के बाद योग्य आवेदकों को मैचिंग ग्रांट के लिए सूचित किया जाएगा।

**06 मैचिंग ग्रांट रिलीज**
मैचिंग ग्रांट को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। मैचिंग ग्रांट के संवितरण से पहले, एबीपीएफ द्वारा परियोजना की प्रगति का निरक्षण किया जाएगा।

## एबीपीएफ टीम द्वारा सहायता के पहलू:

### मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से क्षमता निर्माण

- मेन्टरशिप प्रोग्राम एबीपीएफ के तहत एक ऐसी सुविधा है, जहां सूचना और मार्गदर्शन के लिए, उद्यमियों को अपने व्यावसायिक क्षेत्र में सफल और जानकार व्यक्तियों/ सलाहकारों से जोड़ा जायेगा
- मेन्टरशिप प्रोग्राम का लाभ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिया जा सकेगा

### निवेश में सहायता

- आकर्षक निवेश परियोजनाओं की पहचान में सहायता
- व्यापार योजनाओं की अवधारणा में सहायता
- बायर-सैलर मीट
- बिज़नेस- बिज़नेस मीट
- निवेश प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी साँझा करना।

### क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता

- एबीपीएफ टीम उद्यमी को बैंक से जुडने में सहायता करेगी
- एबीपीएफ टीम उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता पर भी मार्गदर्शन प्रदान करेगी
- क्रेडिट के लिए उपलब्ध योजनाओं पर जानकारी प्रदान करेगी
- एबीपीएफ टीम कृषि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी समस्याओं को उचित मंच पर साँझा करेगी

### परियोजनाओं के लिए मैचिंग ग्रांट प्राप्ति में सहायता करना

- एबीपीएफ में प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं को मैचिंग ग्रांट का प्रावधान है
- यह परियोजना लागत का ३०% है, २ करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए अधिकतम ३० लाख रुपये और २ से ५ करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए ६० लाख रुपये।
- एचपीएचडीपी नियमित अंतराल पर व्यावसायिक प्रस्तावों के लिए विज्ञापन करेगा।
- मैचिंग ग्रांट प्राप्ति हेतु आवेदन बिज़नेस प्लान की सुदृढ़ता के आधार पर चुने जायेंगे

### कृषि/ बागवानी व्यवसाय से संबंधित बेहतर तकनीक की जानकारी

- व्यापार सम्बंधित नवीनतम तकनीकों पर जानकारी साँझा करना
- अनुसंधान संस्थानों से जुड़ने में सहायता
- नई तकनीक के लिए इन्क्यूबेशन समर्थन
- पुरानी तकनीक के नवीनीकरण में सहायता

## हमारे साथ कौन जुड़ सकता है

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रगतिशील किसान | किसान निर्माता संगठन (FPO) | निजी उद्यमी | सूक्ष्म, छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग | सहकारी समिति / निगम | शैक्षिक और शोध संस्थान | वित्तीय संस्थाए |